HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए घर में घुसकर नाबालिग लडकी से छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को 04 वर्ष का साधारण कारावास व 19,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 21.11.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा घर में घुसकर नाबालिग लडकी से छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 13.08.2023 को अभियुक्त आकाश पुत्र रवि यादव निवासी करीमपुरा थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ द्वारा घर में घुसकर नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ पर मु0अ0सं0 196/2023 धारा 352, 323, 354, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 21.08.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.11.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट द्वितीय हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का साधारण कारावास व 19,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री प्रकाश चन्द्र, पैरोकार है0का0 रवि चिकारा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 रविश कुमार का विशेष योगदान रहा।



